M.A.(Education) Part-1,Paper-VI
Presented by Dr.Pallavi
Topic- अनुसंधान की प्रकृति (Nature of Research)
3.3 अनुसन्धान की सामान्य प्रकृति

1. अनुसन्धान एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित बौद्धिक प्रक्रिया है। इसके द्वारा किसी सैद्धान्तिक अथवा व्यावहारिक समस्या का प्रयास किया जाता है।

2, अनुसन्धान के द्वारा या तो किसी नये तथ्य, सिद्धान्त, विधि या वस्तु की खोज की जाती है अथवा प्राचीन तथ्य, सिद्धान्त विधि या वस्तु में परिवर्तन किया जाता है।

3. अनुसन्धान एक तर्कपूर्ण तथा वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष वास्तविक आकड़ों पर आधारित एवं तर्कपूर्ण होते है ।

4. अनुसंधान चिन्तन की एक सुव्यवस्थित एवं परिष्कृत विधि है जिसके अन्तर्गत किसी समस्या के समाधान के लिए विशिष्ट उपकरणों एवं प्रक्रियाओं का प्रयोग होता है।

5. अनुसंधान की प्रक्रिया में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्रोत से प्राप्त आंकड़ों से नये ज्ञान को प्राप्त किया जाता है।

6. इसके अन्तर्गत जटिल घटनाक्रम को समझने के लिए विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विश्लेषण लिए परिकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण किया जाता है।

7. जहाँ तक सम्भव हो, अनुसंधान की प्रक्रिया में आंकड़ों के विश्लेषण में परिमाणात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जहाँ तक सम्भव हो, आँखों के विश्लेषण में सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है।

8. अनुसन्धान द्वारा प्राप्त ज्ञान सत्यापित किया जा सकता है, क्योंकि इसके अन्तर्गत किया गया निरीक्षण नियन्त्रित एवं वस्तुनिष्ठ होता है ।

9. अनुसन्धान एक अनोखी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान के प्रकाश एवं प्रसार के लिए सुव्यस्थित प्रयास होता है।

10. अनुसन्धान कार्य के लिए वैज्ञानिक अभिकल्पों का प्रयोग किया जाता है।

11. आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए विश्वसनीय एवं वैध उपकरणों का प्रयोग किया जाता है।

12. सभी अनुसन्धानों में अभिलेखन एवं प्रतिवेदन सावधानी से किया जाता है।

3.4 अनुसन्धान के पद

अनुसन्धान एक क्रमिक प्रक्रिया है। प्रत्येक प्रकार के अनुसन्धान को कुछ विशिष्ट पदों में अथवा क्रमानुसार किया जाता है। अनुसन्धान प्रक्रिया कई क्रियाओं का मिश्रण है। ये क्रियाएँ एक-दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। परन्तु इन क्रियाओं का क्रम कभी-कभी बिगड भी जाता है। अनुसन्धान प्रक्रिया में निहित इन क्रियाओं को निम्नलिखित पदों के रूप में पाया जाता है। जहोदा के अनुसार,

1. समस्या के रूप में अनुसंधानकर्ता द्वारा अध्ययन में उद्देश्य का वर्णन

2. अनुसन्धान के अध्ययन परिकल्पना का वर्णन

3. प्रदत्त संकलन की विधि का वर्णन

4. अनुसन्धान के परिणामों को प्रस्तुत करना तथा

5. इन परिणामों को सार्थक करना एवं उचित निष्कर्ष निकालना

डेविड जे. **फॉक्स** के अनुसन्धान की योजना के निम्नलिखित सत्रह पद दिये हैं जो अधिक विस्तृत एवं तर्कसंगत हैं :

भाग :1 अनुसन्धान की योजना

पद 1. प्रारम्भिक विचार अथवा आवश्यकता एवं समस्या का क्षेत्र।

पद 2. साहित्य का प्रारम्भिक सर्वेक्षण।

पद ३, विशिष्ट अनुसन्धान की समस्या का निश्चय।

पद 4. अनुसन्धान कार्य की सफलता का पूर्वानुमान।

पद 5. सम्बन्धित साहित्य का द्वितीय सर्वेक्षण ।

पद 6. अनुसन्धान की प्रक्रिया का चयन।

पद 7: अनुसन्धान को परिकल्पना का निर्माण ।

पद 8. आंकड़े प्राप्त करने की विधियों का निश्चय।

पद 9. आंकड़े प्राप्त करने के लिए उपकरणों का चुनाव अथवा निर्माण ।

पद 10. आंकड़ों के विश्लेषण की योजना तैयार करना।

पद 11. आंकड़ों को एकत्रित करने की योजना बनाना।

पद 12. संख्या तथा न्यादर्श का निश्चय करना।

पद 13. एक छोटे समूह पर पूर्व अध्ययन एवं कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना।

भाग 2 : अनुसन्धान योजना का क्रियान्वयन

पद 14. आंकड़ों का संग्रह करना।

पद 15, आंकड़ों का विश्लेषण करना।

पद 16 अनुसन्धान का प्रतिवेदन तैयार करना।

भाग 3 : प्राप्त निष्कर्ष का उपयोग

पद 17. प्राप्त निष्कर्षों का प्रचार तथा क्रियान्वित करने पर बल देना।

वस्तुत: सभी अनुसन्धानों में इन पदों का पालन होता है एवं समस्त अनुसन्धान प्रक्रिया इन पदो द्वारा पूरी हो जाती हैं ।

3.**5 शैक्षिक अनुसन्धान की प्रकृति**

शैक्षिक अनुसन्धान की प्रकृति निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है

1. शैक्षिक अनुसन्धान शिक्षा के स्वस्थ दर्शन पर आधारित होता है।

2. शैक्षिक अनुसन्धान सूझ तथा कल्पना पर आधारित होता है।

3. शैक्षिक अनुसन्धान में अन्तरविषयात्मक पद्धति का प्रयोग होता है।

4. शैक्षिक अनुसन्धान में बहुधा निगमनात्मक तर्क-पद्धति का सहारा लेते हैं।

5. शैक्षिक अनुसन्धान शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करता है तथा उसके विकास की समस्याओं का समाधान करता है।

6. शैक्षिक अनुसन्धान में उस सीमा तक बुद्धि नहीं होती है, जितनी प्राकृतिक विज्ञानों सम्बन्धी अनुसन्धान में होती है।

7. शैक्षिक अनुसन्धान में केवल विशेषज्ञों द्वारा ही नहीं किया जाता ,अपितु शिक्षक, प्रधानाचार्य, निरीक्षक तथा प्रशासक आदि भी इसमें रूचि लेते तथा करते हैं।

8. शैक्षिक अनुसन्धान बहुधा कम खर्चीले होते हैं।

9. शैक्षिक अनुसन्धान सामाजिक घटकों की व्यक्ति निष्ठा पर आधारित होता है।

10. शैक्षिक अनुसन्धान कार्य कारण सम्बन्धों पर आधारित होता है।

11. शैक्षिक अनुसन्धान को यान्त्रिक नहीं बनाया जा सकता।

3.**7 शैक्षिक अनुसन्धान का क्षेत्र एवं प्राथमिकताएँ**

शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र में शिक्षा-दर्शन, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण, इन उदेश्यों की प्राप्ति के लिए नियोजन, व्यवस्थापन, संचालन, समायोजन, धन-व्यवस्था, शिक्षण विधि, सीखना तथा उसे प्रभावित करने वाले तत्व प्रशासन, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन आदि सभी आते हैं। पिछले कुछ वर्षों में मापन तथा मूल्यांकन के क्षेत्र में पर्याप्त खोज की गयी है तथा उसके आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई है। सीखने की नयी-नयी विधियों का आविष्कार, सीखने के प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों की तुलनात्मक महत्ता, छात्रों तथा शिक्षकों के पारस्परिक सम्बन्ध, उनमें अन्तःक्रिया, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, सहायक सामग्री और उसका उपयोग आदि सभी क्षेत्रों में अनुसन्धान हो रहे हैं तथा अभी बहुत कुछ और करना है।

3.8 शिक्षा में अनुसन्धान की आवश्यकता

अनुसन्धान का तात्पर्य किसी नवीन वस्तु या ज्ञान का कुछ नवीन सिद्धान्तों के आधार पर अन्वेषण करता है। इसका उद्देश्य सरल एवं
सुव्यवस्थित विधियों द्वारा किसी क्षेत्र को प्रमुख समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना है। इस दृष्टि से अनुसन्धान एक सोद्देश्य एवं सविचार प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य मानव समाज के ज्ञान को विकसित एवं परिमार्जित कर उपयोगी बनाना है। इसके महत्त्व के बारे में विद्यालय शिक्षा आयोग का मत है कि अनुसन्धान के बिना अध्ययन मृतप्रायः हो जायेगा। अत: ज्ञान के विकास के हेतु अनुसन्धान अत्यावश्यक है और यह ज्ञान का विकास जीवन के विकास के लिए अत्यावश्यक है।

अनुसन्धान और शिक्षा-शिक्षा भी एक सोद्देश्य, सविचार प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जीवन के विभिन्न पाहलुओं का पोषण होता है। जॉन डयूवी ने इसे प्रगतिशील प्रक्रिया कहा है। प्रगति के अभाव में शिक्षा अपने कर्तव्य से च्युत हो जायेगी और उसकी सुस्थिर नवि पर निर्मित प्रगति, परिमार्जन और विकास हेतु अनुसन्धान की आवश्यकता निर्विवाद है।

3.9 अनुसन्धान तथा शिक्षा सम्बन्धी समस्याएँ

आज शिक्षा का उद्देश्य मानव का सर्वांगीण विकास कर उसे समाज, राष्ट्र एवं विश्व की प्रगति में सहायक कुशल नागरिक बनाना है।
जनतन्त्रीय शिक्षा व्यवस्था द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व के समादर, अवसर की समानता, स्वतन्त्रता तथा बन्धुत्व की उदात्त भावनाओं
की स्थापना का उद्देश्य हम स्वीकार कर चुके हैं। किन्तु सर्वत्र भावात्मक एकता में बाधक तत्व-वर्ग, भेद, धार्मिक असहिष्णुता, जातिवाद
सम्प्रदायवाद, आर्थिक शोषण आदि-इस आदर्श की प्राप्ति में बाधक हो रहे हैं तथा लोगों को निराश कर रहे हैं। शिक्षण प्रक्रिया के समस्याएँ और भी दुरूह तथा असाध्य दिखायी पड़ रही हैं। सर्वत्र बाल केन्द्रित शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षा, समाज शिक्षा, प्रौढ़ अनिवार्य शिक्षा के नारे तो बुलन्द हो रहे है किन्तु समुचित योजना, कुशल मार्ग दर्शन तथा सफल साधन के अभाव में कोई भी प्रगति दिखायी नहीं पड़ रहो है। छात्रों में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है, समाज में शिक्षकों की प्रतिष्ठा मिट रही हैं, विद्यालयों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, किन्तु गुणात्मक सफलता उत्तनी हो दूर भागती जा रही है। पाठ्यक्रम में पुस्तकीय ज्ञान ठूँस-ठूँस कर भरा गया है जो व्यावहारिकतासे कोषों दूर है। यद्यपि शिक्षण विधियों की भरमार लग गयी है किन्तु अध्यापक इन पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। प्रशासकीय अधिकारी कार्यालय के कागजों में इस प्रकार उलझे हुए हैं कि शिक्षा की समस्याओं और उनके समाधान की बात सोचना उनके वश की बात नहीं है। ऐसे समय में सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक अनुसनधान हो हमारे सहायता कर सकता है तथा इन समस्याओं का समुचित विश्लेषण, वैज्ञानिक अध्ययन एवं सुविचार समाधान प्रस्तुत कर सकता है इस दृष्टि से मनोविज्ञान एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुसन्धान आज अपरिहार्य हो गया है।

डॉ. बुच द्वारा प्रकाशित सर्वे ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इन इण्डिया में शैक्षिक अनुसन्धान के निम्नलिखित क्षेत्र दिये गये हैं :

1.शिक्षा दर्शन, 2. शिक्षा का इतिहास, 3. शैक्षिक समाज-शास्त्र, 4. सीखने एवं प्रेरणा का मनोविज्ञान, 5. परामर्श एवं निर्देशन, 6,परख एवं मापन, 7. पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ एवं पाठ्य पुस्तकें, 8. प्रोग्राम द्वारा सीखना, 9. शैक्षिक उपलब्धि के सहचर, 10. मूल्यांकन, 11. अध्यापक और अध्यापक का व्यवहार 12. शिक्षक शिक्षा, 13. शैक्षिक प्रशासन, 14. शैक्षिक प्रशासनिक वातावरण एवं छात्रों की उपलब्धि पर उसका प्रभाव, 15. वातावरण एवं अध्यापन से संतुष्टि, 16. शैक्षिक अर्थशास्त्र, 17. सामाजिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा,1 8. शैक्षिक सर्वेक्षण 19. तुलनात्मक शिक्षा, 20. शैक्षिक तकनीकी, 21. उच्च शिक्षा, 22. अनौपचारिक शिक्षा तथा 23. जनसंख्या शिक्षा पॉपुलेशन एजूकेशन।

इन सभी क्षेत्रों के कुछ पक्षों को लेकर अनुसन्धान कार्य हुए हैं और हो रहे हैं। इसमें अधिकांश सर्वेक्षण प्रकार के अथवा सह
सम्बन्धात्मक ही हैं। वास्तव में इनकी उपयोगिता भी कम नहीं है किन्तु प्रयोगात्मक अनुसन्धान और भारत के विद्यालयों को परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किये गये सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक अनुसन्धान का नितान्त अभाव है। इसी प्रकार की स्थिलि मनोविज्ञान के क्षेत्र भी दिखायी पड़ती है।

प्राथमिकता क्रम से निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण हैं :

भारतीय परिस्थितियों में-1, अध्यपन और अध्यापन के विभिन्न पक्षों पर अनुसन्धान ।

2. शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन के सम्बन्ध में अनुसन्धान ।

3. अध्यापक शिक्षा, शैक्षिक नियोजन, संगठन, प्रशासन एवं पर्यवेक्षण के क्षेत्र में अनुसन्धान ।

4. शैक्षिक निर्णय के सम्बन्ध में अनुसन्धान ।

5. प्रौढ़ शिक्षा, सामाजिक शिक्षा तथा जनसंख्या-शिक्षा सम्बन्धी अनुसन्धान ।

3.10 सामाजिक अनुसन्धान

मानव ने स्वेच्छा से समाज में रहने और सामाजिक जीवन व्यतीत करने का साग अपनाया। समाज के लोगों को आत्मीयता, शान्ति और सुरक्षा का वातावरण मिला जो व्यक्ति के विकास के लिए अनुकूल अवसर प्रदान करता था ।धीरे- धीरे परिस्थितियां जटिल होती गयीं और समाज की सरल व्यवस्था जटिलता में बदल गयी। वैज्ञानिक प्रगति और औद्योगिक क्रान्ति ने, जहाँ एक ओर सम्पन्नता का मार्ग प्रशस्त किया, वहीं दूसरी ओर सामाजिक विघटन, जटिलता तथा अन्य अनेक सामाजिक दोपों को जन्म दिया । विश्व के विचारको और समाजशास्त्रियों का ध्यान सामाजिक सम्बन्धों की प्रकृति, सामाजिक समस्याओं तथा सामाजिक घटनाओं के कारणों पता लगाने की ओर जाना स्वाभाविक था । उनकी इसी जिज्ञासा के फलस्वरूप सामाजिक अनुसन्धान सामने आया ।

3.11 सामाजिक अनुसन्धान क्या है?

सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों ने इसकी अनेक परिभाषाएं दी है । सभी परिभाषाओं की शब्दावली में अंतर होते हुए भी मूल धारणा एक ही है। **श्रीमती** पी.वी. यंग ने सामाणिक अनुसन्धान की परिभाषा

देते हुए कहा है-"सामाजिक अनुसन्धान नए तथ्यों की खोज और पुराने तव्यों सत्यापन, उनके क्रमबद्ध पारस्परिक सम्बन्ध, कारणों की व्याख्या तथा उन्हें संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों के अध्ययन की सुनियोजित विधि है।

इस परिभाषा के अनुसार, सामाजिक अनुसन्धान सामाजिक संबंधों की व्याख्या करता है, सामाजिक घटनाओं और उसके कारणों में कार्य कारण सम्बन्धों की खोज करता है तथा इनसे सम्बन्धित नये तथ्यों की खोज तथा पुराने तथ्यों की व्याख्या वैज्ञानिक ढंग से करने का प्रयास करता है।

3.12 सामाजिक अनुसन्धान की प्रकृति

1. सामाजिक अनुसन्धान सामाजिक सम्बन्धों और घटनाओं को व्याख्या करता है-सामाजिक अनुसन्धान के अन्तर्गत मानव व्यवहार का अध्ययन समाज के सदस्य के रूप में किया जाता है। एक समाज में रहते हुए व्यक्ति का व्यवहार किन परिस्थितियों में कैसा और क्यों होता है? उसकी अनुभूतियाँ, प्रतिक्रियाएँ तथा अभिवृतियाँ विभिन्न परिस्थितियों के प्रति कब, कैसी और क्यों होती हैं? इनका वैज्ञानिक
अध्ययन सामाजिक अनुसन्धान के अन्तर्गत होता है।

2. सामाजिक अनुसन्धान सामाजिक संबंधों के बारे में नये तथ्यों की खोज करता है-वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रणाली का लक्ष्य ही किसी घटना के सम्बन्ध में नये तथ्य, नये सम्बन्ध और नये नियमों की खोज करना होता है। सामाजिक अनुसन्धान सामाजिक व्यवस्था, संगठन तथा सम्बन्धों एवं घटनाओं के सम्बन्ध में नये नियमों की खोज कर उनके नये स्पष्टीकरण देने का प्रयास करता है।

3. सामाजिक अनुसन्धान प्राचीन तथ्यों में सुधार करता है-नये सिद्धान्तों एवं नियमों की खोज के साथ-साथ सामाजिक अनुसन्धान के अन्तर्गत प्राचीन नियमों का सत्यापन भी होता रहा है। सम्भव है कि जिन परिस्थितियों में निश्चित नियम स्थिर किये गये थे, समय के परिवर्तन एवं विकास के कारण उनमें परिवर्तन आ गया हो अथवा आविष्कार की नयो विचियों के कारण उनका अधिक अच्छा मूल्यांकन किया जा सकता हो, इस उद्देश्य के साथ सत्यापन की क्रिया भी चलती रहती है।

4. सामाजिक अनुसन्धान कार्य-कारण सम्बन्धों की खोज करता है-विभिन्न सामाजिक घटनाएँ असम्बद्ध रूप में नहीं होती अपितु उनमें निकटस्थ अथवा दूरगामी कार्य कारण सम्बन्ध होता है। ऊपर के देखने से चाहे वे घटनाएँ परस्पर असम्बद्ध दिखायी पड़ती हो, किन्तु गहराई से विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वे कार्य कारण सम्बन्धों को कड़ी से जुड़ी होती है। सामाजिक अनुसन्धान इन कार्य कारण सम्बन्धों की व्याख्या कर मानव सम्बन्धों के विकास हेतु मार्गदर्शन करता है।

5. सामाजिक अनुसन्धान वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रणाली का उपयोग करता है---सामाजिक अनुसन्धान की प्रणालो नित्य प्रति विकसित हो तो जा रही है। इसमें विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ उपकरणों का उपयोग कर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालने, उनके सत्यापन करने और उनके आधार पर मानव सम्बन्धों के बारे में भविष्य जात करने का प्रयास होता है। इस प्रकार यह एक वैज्ञानिक प्रणाली है।

6. सामाजिक अनुसन्धान में सांख्यिकीय विश्लेषण होता है-सामाजिक अनुसन्धान में आंकड़ों के सारणीयन एवं विश्लेषण के लिए सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे अनुसंधानकर्ता अधिक विश्वास के साथ अपनी बात कहने में समर्थ होता है।

3.13 सामाजिक अनुसन्धान के उद्देश्य

श्रीमती यंग के अनुसार, सामाजिक अनुसन्धान के दो मूल उद्देश्य हैं ।

1. सामाजिक सम्बन्धों एवं घटनाओं के सम्बन्ध में नवीन तथ्यों की खोज करना।

2. इस क्षेत्र में प्राप्त पुराने तथ्यों का सत्यापन करना।

इन दोनों उद्देश्यों को दो अन्य प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं-1. सैद्धान्तिक एवं

2. व्यावहारिक ।

सैद्धान्तिक दृष्टि से सामाजिक अनुसन्धान का उद्देश्य ज्ञान क्षेत्र में वृद्धि करना है। ज्ञान पृद्धि के सम्बन्ध में मानव जिज्ञासा की सन्तुष्टि ही समस्त अनुसन्धान का आधार है। अतः सामाजिक अनुसन्धान का प्रप्ति उद्देश्य मानव समाज और उसकी समस्याओं तथा कार्य प्रणाली के बारे में निश्चित सिद्धांत की खोज करना है।

सामाजिक अनुसन्धान का दूसरा लक्ष्य उसके व्यावहारिक पक्ष को स्पष्ट करना है। वैज्ञानिक अध्ययन का उद्देश्य किसी पटना के कारणों का अध्ययन करना या उस पर सम्भावित नियन्त्रण करना है। मानव समाज हत्या, आत्महत्या,चोरी, राहजनी, पारस्परिक घृणा-द्वेष आदि अनेक बुराइयों में लिप्त है। इन बुराइयों की जड़ों में अनेक सामाजिक कारण हैं। इनके कारणों की परख, उनके प्रति लोगों में जानकारी पैदा करना और उनके नियंत्रण के सम्बन्ध में सुझाव देना सामाजिक अनुसन्धान का दूसरा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है।

3.14 सामाजिक अनुसन्धान तथा सामाजिक सर्वेक्षण

सामाजिक अनुसन्धान तथा सामाजिक सर्वेक्षण में अन्तर है। इस अन्तर को समझने के पूर्व हमें यह जानना होगा कि सामाजिक सर्वेक्षण क्या है। सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषा करते हुए **मार्क एब्रम्स** का कहना है-"सामाजिक अनुसन्धान सर्वेक्षण को वह विधि है जिसके द्वारा समाज के गठन और क्रिया के सम्बन्ध में संख्यात्मक तथ्यों का संकलन किया जाता है।"

सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताएँ-1. सामाजिक सर्वेक्षण बाल अपराध, बेकारी आदि से सम्बन्धित तात्कालिक समस्याओ से सम्बद्ध होता है।

2. इसका भौगोलिक क्षेत्र सीमित होता है।

3. सर्वेक्षण का उद्देश्य सामाजिक अनुसन्धान के लिए रचनात्मक कार्यक्रम तैयार करना अथवा वर्तमान बुराई को दूर करना होता है।

4. सर्वेक्षण के द्वारा संकल्पित तथ्य भावी सामाजिक अनुसन्धान का आधार बन सकता है।

5. सामाजिक सर्वेक्षण में सहयोगात्मक ढंग से प्रयास आवश्यक होता है।

6. सामाजिक सर्वेक्षण में भी वैज्ञानिक उपकरणों का ही प्रयोग करते हैं।

सामाजिक अनुसन्धान तथा सामाजिक सर्वेक्षण में अन्तर-सामाजिक अनुसन्धान तथा सामाजिक सर्वेक्षण, दोनों में निम्नलिखित अन्तर हैं:

1. सामाजिक सर्वेक्षण का सम्बन्ध विशेष व्यक्ति, विशेष समस्या अथवा विशेष परिस्थिति से होता है, जबकि सामाजिक अनुसन्धान का सम्बन्ध सामान्य एवं अमूर्त समस्या से है।

2, सामाजिक सर्वेक्षण मूल रूप से व्यावहारिक है, जबकि सामाजिक अनुसन्धान की प्रकृति सैद्धान्तिक है।

3. सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य मानव सम्बन्धों में सुधार होता है, जबकि सामाजिक अनुसन्धान का उद्देश्य ज्ञान की वृद्धि करना होता है ।

4. सामाजिक सर्वेक्षण के फलस्वरूप किसी सामाजिक समस्या का समाधान होता है, जबकि सामाजिक अनुसन्धान के फलस्वरूप नयें नियम, सिद्धांत तथा विधियों का ज्ञान होता है।

5. सामाजिक सर्वेक्षण किसी परिकल्पना का आधार बनता है, जबकि सामाजिक अनुसन्धान में परिकल्पना का परीक्षण कर सिद्धान्त
निकालते हैं।

6. सामाजिक सर्वेक्षण के लिए परिकल्पना आवश्यक नही हो सकती है, जबकि सामाजिक अनुसन्धान के लिए परिकल्पना अत्यावश्यक है ।
7. सामाजिक सर्वेक्षण व्यावसायिक आधार पर भी होता है। जिसे लोग पैसे देकर करवाते हैं, जबकि सामाजिक अनुसन्धान व्यावसायिक न होकर शैक्षिक एवं ज्ञानात्मक होता है क्योंकि इसका उद्देश्य ज्ञान वृद्धि होता है।

सामाजिक अनुसन्धान तथा सामाजिक सर्वेक्षण में अन्तर है। इस अन्तर को समझने के पूर्व हमें यह जानना होगा कि सर्वेक्षण क्या है? सामाजिक सर्वेक्षण को परिभाषा करते हुए मार्क एब्रम्स का कहना है "सामाजिक अनुसन्धान सर्वेक्षण को वह विधि जिसके द्वारा समाज के गठन और क्रिया के सम्बन्ध में संख्यात्मक तथ्यों का संकलन किया जाता है। "

3.15 सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषता

1. सामाजिक सर्वेक्षण बाल अपराध, बेकारी आदि से सम्बन्धित तात्कालिक समस्याओं से सम्बद्ध होता है।,

2. इसका भौगोलिक क्षेत्र सीमित होता है।

3. सर्वेक्षण का उद्देश्य सामाजिक अनुसन्धान के लिए रचनात्मक कार्यक्रम तैयार करना अथवा वर्तमान बुराई को दूर करना होता है ।

4. सर्वेक्षण के द्वारा संकल्पित तथ्य भावी सामाजिक अनुसन्धान का आधार बन सकता ।

5. सामाजिक सर्वेक्षण में सहयोगात्मक ढंग से प्रयास आवश्यक होता है।

6. सामाजिक सर्वेक्षण में भी वैज्ञानिक उपकरणों का ही प्रयोग करते हैं।

सामाजिक अनुसन्धान तथा सामाजिक सर्वेक्षण में अन्तर-सामाजिक अनुसन्धान तथा सामाजिक सर्वेक्षण, दोनों में निम्नलिखित अन्तर हैं:

1. सामाजिक सर्वेक्षण का सम्बन्ध विशेष व्यक्ति, विशेष समस्या अथवा विशेष परिस्थिति से होता है, जबकि सामाजिक अनुसन्धान का
सम्बन्ध सामान्य एवं अमूर्त समस्या से है।

2. सामाजिक सर्वेक्षण मूल रूप से व्यावहारिक है, जबकि सामाजिक अनुसन्धान की प्रकृति सैद्धान्तिक है।

3. सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य मानव सम्बन्धों में सुधार होता है, जबकि सामाजिक अनुसन्धान का उद्देश्य ज्ञान की वृद्धि करना होता है ।

4. सामाजिक सर्वेक्षण के फलस्वरूप किसी सामाजिक समस्या का समाधान होता है, जबकि सामाजिक अनुसन्धान के फलस्वरूप नयें नियम, सिद्धान्त तथा विधियों का ज्ञान होता है।

5. सामाजिक सर्वेक्षण किसी परिकल्पना का आधार बनता है, जबकि सामाजिक अनुसन्धान में परिकल्पना का परीक्षण कर सिद्धान्त निकालते हैं।

6. सामाजिक सर्वेक्षण के लिए परिकल्पना आवश्यक नहीं हो सकती है, जबकि सामाजिक अनुसन्धान के लिए परिकल्पना अत्यावश्यक है ।
7. सामाजिक सर्वेक्षण व्यावसायिक आधार पर भी होता है । जिसे लोग पैसे देकर करवाते हैं, जबकि सामाजिक अनुसंधान व्यवसायिक न होकर शैक्षिक एवं ज्ञानात्मक होता है क्योंकि इसका उद्देश्य ज्ञान वृद्धि होता है ।

3.16 अनुसन्धान कार्य की प्रस्ताविक रूपरेखा

अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अनुसन्धानकर्ता उसकी विस्तृत रूपरेखा तैयार करता है। प्रस्तावित कार्य की रूपरेखा की तैयारी अनुसंधान का अत्यंत महत्वपूर्ण पद है। इसके तैयार करने में अनुसन्धानकर्ता जितना ही अध्ययन, चिन्तन एवं विशेषज्ञों से विचारों का आदान प्रदान करता है, अनुसन्धान कार्य उतना ही सरल एवं निर्विध्प होता है। सभी अनुसन्धान संस्थान एवं विश्वविद्यालयों में अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ करने की यह प्रथम आवश्यकता है । विशेषज्ञ इसी पर विचार कर कार्य संचालन की स्वीकृति देते हैं। अत: इसे तैयार करने में पर्याप्त सावधानी रखनी चाहिए। यह रूपरेखा तो अनुसन्धान कार्य का एक्स रे प्लाण्ट है, जिसमें सभी वस्तुएँ स्पष्ट दिखायी पड़ती है । इसका अस्पष्ट एवं भ्रमपूर्ण होना सम्पूर्ण अनुसन्धान कार्य को अव्यवस्थित तथा असफल कर देता है। इस रूपरेखा के तैयार करने अनेक विधियाँ तथा प्रारूप हैं। नीचे एक सुव्यवस्थित रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है :

प्रस्तावित रूपरेखा के विभिन्न पद

1. प्रस्तावित अध्ययन का शीर्षक

2. उपाधि तथा संस्था का नाम जहां प्रस्तुत
करना है

3. अ. पर्यवेक्षक का नाम।

ब . अनुसंधान कर्ता का नाम ।

4. समस्या क्या है?-इसके अन्तर्गत समस्या की उत्पत्ति का संक्षिप्त कारण देते हुए उसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

5. इस समस्या पर अब तक हो चुके कार्य का संक्षिप्त विवरण एवं उनकी सीमाएँ-इसके अन्तर्गत अध्ययन के विषय से सम्बन्धित, पूर्व हो चुके कार्यों का संक्षिप्त विवरण देते हुए उनकी सीमाओं अथवा धुटियों का उल्लेख करते हैं। ऐसा करते हुए प्रस्तुत अध्ययन को आवश्यकता, महत्त्व तथा उपयोगिता पर प्रकाश डालते हैं।

6, समस्या का कथन-इस स्थल पर अनुसन्धान की मूल समस्या को निश्चित एवं स्पष्ट शब्दावली में देते हैं।

7.शब्दों की परिभाषाएँ-इसके अन्तर्गत अनुसन्धान की समस्या का कथन, जिन विशेष शब्दों को क्रिया है, उनकी स्पष्ट परिभाषाएँ देते है ।
8. अध्ययन चर-शब्दों की परिभाषाएँ देने के बाद चरों का वर्णन करते हैं। किन चरों का अध्ययन करना है तथा किन चरो का नियंत्रण किस प्रकार करना है?

9. इन चारों को लेने का औचित्य-यहाँ पर उन कारणों का संक्षिप्त विवरण देते हैं, जिनके कारण इन्हीं चरों को लिया गया।

10. अध्ययन का उद्देश्य-इसके अन्तर्गत मुख्य तथा गौण उद्देश्यों को दिया जायेगा।

11. न्यादर्श-यहाँ पर उस न्यादर्श का वर्णन करेंगे जिस पर अध्ययन करना है।

12. न्यादर्श विधि-इसके अन्तर्गत न्यादर्श लेने की विधि का विस्तृत वर्णन होगा।

13. न्यादर्श का औचित्य-इस स्तम्भ में इसी न्यादर्श के लेने के औचित्य का स्पष्टीकरण देना होगा।

14. अध्ययन की अवधारणा-यहाँ पर उन अवधारणाओं का उल्लेख करेंगे जिन पर अध्ययन आधारित होगा।

15. परिकल्पना-यहां पर अध्ययन के दृश्य के आधार पर परिकल्पनाएँ देंगे।

16. अध्ययन की विधि-इस स्तम्भ में उस वैज्ञानिक विधा का विवरण देंगे जिस पर अध्ययन आधारित होगा।

17. उपकरण तथा तकनीक-इसके अन्तर्गत, आँकड़े प्राप्त करने के लिए किन उपकरणों का चुनाव करना है, यदि उपकरण उपलब्ध नहीं हैं तो उनका निर्माण किस विधि से करना है यदि है तो उनकी विश्वसनीयता एवं वैधता आदि की जाँच किस प्रकार करनी होगी, इसका विस्तृत वर्णन होगा।

18. उपकरण के चयन का औचित्य-इस स्थान पर चुने गये उपकरणों के चयन का औचित्य देंगे।

19. सांख्यिकीय तकनीक-इस स्तम्भ में इन सांख्यिकीय प्रविधियों का वर्णन होगा, जिनके आधार पर प्राप्त आँकड़ों का विश्लेश किया जायेगा।

20. अध्ययन की योजना-इसके अन्तर्गत उन सभी पदों का एक-एक करके क्रमिक वर्णन सूत्र रूप में देंगे जो अध्ययन का आधार होगा।

21. सम्भावित अध्याय-इस स्तम्भ में अध्ययन के सम्भावित अध्यायों की रूपरेखा देंगे।

22, अध्ययन में लगने वाला समय तथा धन-अध्ययन कार्यों में कितना समय तथा धन व्यय होगा, इसकी एक अनुमानि रूपरेखा यहाँ पर दी जायेगी।

23. सन्दर्भ ग्रन्चों की सूची--उपर्युक्त पदों के आधार पर बनायी गयी अनुसन्धान रूपरेखा पूर्णरूपेण सुविचारित एवं स्पष्ट होगी तथा अध्ययन कार्य में सुगमता के कारण सफलता निश्चित होगी।